

पंजाब नेशनल बैंक वि. मेसर्स शर्मा (विश्व विजय शर्मा)
परिवाद क्रमांक 1429/2021

11/02/2022 परिवादी द्वारा श्री जे पी एस ओबेराय अधिवक्ता उपस्थित।
आरोपी विश्व विजय शर्मा अनुपस्थित।
प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।
प्रकरण का अवलोकन किया गया।
पूर्व में आरोपी को न्यायालय द्वारा कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये परंतु आरोपी अनुपस्थित।
परिवादी ने व्यक्त किया कि अभियुक्त पर तामीली नहीं हो पा रही है। अतः स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे।
प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2021 से लंबित है, आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये, किंतु उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाई है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने को न्यायालय में उपस्थित रखने या आदेशिका की तामीली से बचने का प्रयास कर रहा है। पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने पर भी पूर्ववत् स्थिति रहने की संभावना अधिक है। अतः ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध धारा 299 दंप्रस के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी विश्व विजय शर्मा को फरार घोषित किया जाता है। आरोपी का स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे।
अभियुक्त के उपस्थित होने पर परिवादी को सूचना दी जावे।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण सुरक्षित रखने की टीप सहित अभिलेखागार भेजा जावे।

(अरविंद सिंह टेकाम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर म.प्र.